N.E.R. Safety Organization

 The Safety Organization was created in Indian Railway arising out of the recommendations in reports of Inquiries into Serious Train Accidents by Kunzru and Sikri Committees. Initially the Safety Organization was functioning as one of the wings of Operating department.

कुंजरू और सीकरी समितियों द्वारा गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच की रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रेलवे में संरक्षा संगठन बनाया गया था। प्रारंभ में संरक्षा संगठन परिचालन विभाग के एक विंग के रूप में कार्य कर रहा था

 Based on the recommendations of Justice Khanna Committee (Railway Safety Review Committee), a broad-based Safety department was set up with Officers and staff drawn from all disciplines concerned with safety in train operations, viz. Operating, Engineering, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication departments manning the posts.

न्यायमूर्ति खन्ना समिति (रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति) की सिफारिशों के आधार पर, ट्रेन संचालन में संरक्षा से संबंधित सभी विषयों से लिए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक व्यापक आधार वाला संरक्षा विभाग स्थापित किया गया था। ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग पदों का प्रबंधन करते हैं

3. The Safety Organization functions at all the three levels of organizational structure of the Indian Railway Board, Zonal Railways and Divisions.

संरक्षा संगठन भारतीय रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और डिवीजनों के संगठनात्मक ढांचे के सभी तीन स्तरों पर कार्य करता है।

4. At the Zonal Railway level the Chief Safety Officer heads the Safety department assisted by officers and supervisory staff from other departments connected with Safety.

जोनल रेलवे स्तर पर मुख्य संरक्षा अधिकारी संरक्षा विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता सुरक्षा से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी और पर्यवेक्षी कर्मचारी करते हैं।

5. At the Divisional level, Safety department of Izzatnagar, Lucknow and Varanasi divisions are headed by Sr. Divisional Safety Officers.

मंडल स्तर पर, इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी मंडलों के संरक्षा विभाग का नेतृत्व वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी करते हैं।

Activities under taken by Safety Organization

- (i) Reporting accidents to GM/DRM, Commissioner of Railway Safety and Railway Board .जीएम/डीआरएम, रेलवे सुरक्षा आयुक्त और रेलवे बोर्ड को दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना।
- (ii) Compilation of accident statics and Analytical Reviews of trends of accidents and suggesting remedial measures in coordination with other departments.
 - दुर्घटना सांख्यिकी का संकलन और दुर्घटनाओं की प्रवृत्तियों की विश्लेषणात्मक समीक्षा और अन्य विभागों के समन्वय में उपचारात्मक उपाय स्झाना
- (iii) Assisting CRS in conducting inquiries into the serious accidents and supervise the accident inquiries and associate with accidents inquiries.
 - गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करने में सीआरएस की सहायता करना और दुर्घटना जांचों का पर्यवेक्षण करना और दुर्घटनाओं की जांच में सहयोग करना।
- (iv) Assisting GM in acceptance and Review of all accident inquiry reports.
 - सभी दुर्घटना जांच रिपोर्टों की स्वीकृति और समीक्षा में जीएम की सहायता करना।
- (v) Monitoring of DAR cases, arising out of accidents and review thereof to assess
 adequacy of punishments by disciplinary, appellate and reviewing authorities.
 Monitoring implementation of the recommendations of CRSs and various Safety related committees.
 - दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले डीएआर मामलों की निगरानी करना और उनका आकलन करने के लिए समीक्षा करना अनुशासनात्मक, अपीलीय और समीक्षा अधिकारियों द्वारा दंड की पर्याप्तता।सीआरएस और विभिन्न सुरक्षा संबंधी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना समितियाँ।
- (vi) Monitoring the implementation of all directives issued by Railway Board in the matters pertaining to Safety.
 - संरक्षा से संबंधित मामलों में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सभी निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(vii) Apprising GM of deficiencies in implementation of Safety measures adopted by various departments. Keep liaison with other departments for safe working of maintenance and operational practices.

विभिन्न विभागों द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में किमयों के बारे में जीएम को अवगत कराना। रखरखाव और परिचालन प्रथाओं के सुरक्षित कामकाज के लिए अन्य विभागों के साथ संपर्क बनाए रखें।

(viii) Will carry out safety super-checks of the functioning of operational and maintenance machinery on the Railways, including inspections of track machines, tower wagons, OHE, RCRV, inspections of loco sheds, C&W depots, inspections of track points and crossings, trolley and motor trolley inspections, ambush checks, station/yard inspection, B/Van inspection etc., super check of coaching and goods trains, conducting night inspections. Joint inspections with Officers/staff of Civil Engineering, S&T, Electrical and Mechanical department etc. Safety audit.

ट्रैक मशीनों, टावर वैगनों, ओएचई, आरसीआरवी, लोको शेड, सी एंड डब्ल्यू डिपो के निरीक्षण, ट्रैक पॉइंट और क्रॉसिंग, ट्रॉली और मोटर के निरीक्षण सिंहत रेलवे पर परिचालन और रखरखाव मशीनरी के कामकाज की सुरक्षा सुपर-जांच करेगा। ट्रॉली निरीक्षण, घात जांच, स्टेशन/यार्ड निरीक्षण, बी/वैन निरीक्षण आदि, कोचिंग और माल गाड़ियों की सुपर जांच, रात्रि निरीक्षण करना। सिविल इंजीनियरिंग, एसएंडटी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण, सुरक्षा ऑडिट।

(ix) Coordination with other Government agencies for promoting safety at level crossings.

समपारों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय

(x) Preparation and circulation of Safety circulars, posters, bulletins etc.

संरक्षा परिपत्र, पोस्टर, बुलेटिन आदि तैयार करना और प्रसारित करना।

Safety drives based on the safety environment prevailing on the Railway.

रेलवे पर प्रचलित संरक्षा वातावरण के आधार पर संरक्षा अभियान।

(xi) Regular counseling and monitoring of staff involved in maintenance and operation,

रखरखाव और संचालन में शामिल कर्मचारियों की नियमित परामर्श और निगरानी।

(xii) Nomination of signal sighting committees and ensuring rectification of deficiencies recorded.

सिग्नल देखने वाली समितियों का नामांकन और दर्ज कमियों का स्धार स्निश्चित करना।

(xiii) Coordination of improvements in crew and guard booking lobbies, running rooms, for running staff.

क्रू और गार्ड बुकिंग लॉबी, रनिंग रूम में सुधार का समन्वय रनिंग स्टाफ।

(xiv) Suggestions related to various manuals of different disciplines.

विभिन्न विषयों की विभिन्न नियमावली से संबंधित सुझाव।

(xv) Working of safety counselors of all disciplines.

सभी विषयों के स्रक्षा सलाहकारों का कार्य करना।

(xvi) Checks on HOERs, bringing out deficiencies affecting safety.

HOERs की जाँच करना, सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कमियों को सामने लाना।

(xvii) Safety Officers should make suggestions about the proposals for new works having bearing on safety in train operation and maintenance of operational assets.

सुरक्षा अधिकारियों को ट्रेन संचालन और परिचालन परिसंपत्तियों के रखरखाव में सुरक्षा को प्रभावित करने वाले नए कार्यों के प्रस्तावों के बारे में सुझाव देना चाहिए।

(xviii) Coordination regarding Disaster Management functions – Relief and restoration etc.

Preparation and implementation of Zonal Disaster management Plan.

आपदा प्रबंधन कार्यों के संबंध में समन्वय - राहत और बहाली आदि। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन।

(xix) Implementation of Corporate Safety Plan.

कॉर्पोरेट स्रक्षा योजना का कार्यान्वयन।

(xx) Follow up of breathalyzer applications and adoption of preventive measures to curb drunkenness .

नशे पर अंकुश लगाने के लिए ब्रेथलाइज़र अनुप्रयोगों का अनुवर्तन और निवारक उपाय अपनाना।

(xxi) Safety Officer must ensure that all clues relative to accident investigation are preserved.

संरक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्घटना की जांच से संबंधित सभी सुराग संरक्षित हैं।

(xxii) Safety Officer must ensure that all relevant measurements are jointly recorded.

संरक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रासंगिक माप संयुक्त रूप से दर्ज किए गए हैं

(xxiii) Any other functions assigned by GM.

जीएम द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।